सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 364 राँची, गुरुवार, 11 ज्येष्ठ, 1938 (श०)
1 जून, 2017 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

1 दिसम्बर, 2016

"झारखंड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्व एवं नियंत्रण) आदेश, 2016"

संख्या:- खा.प्र. 02 अधि.-नि. आ.-01/2016 – 4877-- राज्य सरकार किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने और किसी भी बिक्री से संबंधित संकट से बचने के लिए किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करती है । चावल की खरीद एवं आपूर्ति को पारदर्शी बनाये रखने के लिए राज्य सरकार के एजेंसियों एवं राईस मिलर को निर्देश प्रदान करना आवश्यक है । इसी उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा झारखण्ड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्त्व एवं नियंत्रण) आदेश, 2016 का गठन निम्नवत् किया जाता है –

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

i. यह आदेश "झारखंड कस्टम मिल्ड राईस (दायित्व एवं नियंत्रण) आदेश, 2016" कही जायेगी ।

ii. यह आदेश पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगी ।

iii. यह "झारखण्ड राजपत्र"/ई-गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी ।

2. (अ) परिभाषाएँ

इस आदेश में जबतक कि प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो -

i. "अधिनियम" से अभिप्रेत है, आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 (1955 का अधिनियम-10) ।

ii. "कस्टम मिलिंग" से अभिप्रेत है, धान जो कि मिलर के स्वामित्व का नहीं है, का मिलिंग शुल्क भुगतान के आधार पर मिलिंग ।

iii. "कस्टम मिल्ड राईस" ;सी.एम.आर.द्ध से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत ऐजेंसी द्वारा क्रय किए गए एवं मिलों के द्वारा प्राप्त किए गए धान के कस्टम मिलिंग से प्राप्त चावल ।

iv. "अधिप्राप्ति केन्द्र" से अभिप्रेत है, वैसे स्थल जहाँ पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान का क्रय किया जायेगा ।

v. "न्यूनतम समर्थन मूल्य" से अभिप्रेत है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा धान के लिए निर्धारित दर जो किसानों को भुगतान किया जाना है ।

vi. "धान" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य में उत्पादित होने वाली धान की विभिन्न प्रजातियाँ ।

vii. "चावल" से अभिप्रेत है, धान से विनिर्मित चावल ।

viii. "राईस मिल" से अभिप्रेत है, प्लांट एवं मशीनरी सहित परिसर जहाँ धान का मिलिंग किया जाता है ।

ix. "राईस मिलर्स" से अभिप्रेत है, राईस मिल का मालिक, जो राईस मिल कारखाना अधिनियम के तहत स्थापित हो, पंजीकृत साझेदार फर्म अथवा व्यक्तिगत अथवा अन्य कोई वैधानिक लीज पर लिया गया फर्म जो कि मील मालिक से कम से कम बारह महीने पूर्व लिया गया हो ।

x. "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड ।

xi. "प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण समिति" से अभिप्रेत है, धान अधिप्राप्ति के अनुश्रवण हेतु आदेश-10 में गठित समिति ।

xii. ''जिला स्तरीय समिति'' से अभिप्रेत है, धान अधिप्राप्ति के अनुश्रवण हेतु आदेश -10 में गठित समिति ।

xiii. ''राज्य स्तरीय समिति'' से अभिप्रेत है, धान अधिप्राप्ति के अनुश्रवण हेतु आदेश-10 में गठित समिति ।

xiv. ''डिस्ट्रेस सेल'' से अभिप्रेत है, धान को खूले बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बिक्री करना ।

xv. ''भारतीय खाद्य निगम'' से अभिप्रेत है, खाद्य निगम अधिनियम-1964 के अधिनियम-37 के अधीन गठित भारतीय खाद्य निगम एवं उसके पदाधिकारी एवं इस आदेश के उद्देश्य के लिए सक्रिय एजेंट ।

xvi. ''अधिसूचना'' से अभिप्रेत है, सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना ।

xvii. ''क्रय पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है, भारतीय खाद्य निगम या राज्य सरकार के एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी अथवा अन्य कोई एजेंसी या व्यक्ति जो राज्य सरकार या राज्य सरकार की ओर से किसानों से धान अधिप्राप्ति एवं राईस मिल से चावल संचयन करने लिए अधिकृत किया गया हो ।

xviii. ''प्राधिकृत एजेंसी'' से अभिप्रेत है, भारतीय खाद्य निगम, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम एवं सरकार से नामित अन्य कोई एजेंसी ।

xix. ''निरीक्षी पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है, सरकार या उपायुक्त द्वारा नामित पदाधिकारी जो पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से अन्यून हो ।

xx. ''सक्षम प्राधिकार'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नामित पदाधिकारी जो संयुक्त सचिव से अन्यून हो ।

3. धान की कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिलों का चयन:-

i. प्राधिकृत एजेंसी द्वारा क्रय किये गये धान के मिलिंग हेतु मिल का चयन आदेश के प्रावधानों के अधीन किया जायेगा । इस आदेश के प्रावधानों के अधीन राज्य के राईस मिलों द्वारा मिलिंग का कार्य अनुबंध के आधार पर की जायेगी ।

ii. मिलों के चयन के पूर्व मिल की मिलिंग क्षमता, भण्डारण क्षमता एवं पूर्व की क्रियाशीलता को ध्यान में रखा जायेगा ।

iii. चयनित मिलों से अधिप्राप्ति केन्द्रों का टैगिंग की जायेगी । टैगिंग में अधिप्राप्ति केन्द्रों की राईस मिलों से दूरी मिलिंग क्षमता, भण्डारण क्षमता एवं पूर्व की क्रियाशीलता को ध्यान में रखा जायेगा ।

iv. क) यदि कोई सम्बद्ध राईस मिल धान की कस्टम मिलिंग हेतु अनिच्छुक है एवं राज्य सरकार ऐसा महसूस करती है कि धान की मिलिंग आवश्यक है तो ऐसे अनिच्छुक राईस मिल को उनकी मिलिंग क्षमता का 30 प्रतिशत तक मिलिंग

हेतु धान उन्हें सुपूर्द कर सकेगी एवं वैसे राईस मिल तत्संबंधी धान की मिलिंग के उपरांत परिवर्तित धान को इस आदेश द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम को हस्तगत कराने हेतु बाध्य होगें ।

ख) ऐसे राईस मिलों को संगत राज्यादेश द्वारा निर्धारित मिलिंग शुल्क एवं अन्य शुल्क पाने के हकदार होंगे, जिसका भुगतान धान अधिप्राप्ति ऐजेंसी के द्वारा किया जाएगा ।

v. राईस मिलों के द्वारा Advance CMR System के अन्तर्गत समझौते के अनुसार पहले गारंटी के तौर पर चावल दिया जायेगा एवं उतनी मात्रा का आनुपातिक धान मील द्वारा टैग अधिप्राप्ति केन्द्र से उठाव किया जायेगा । यही प्रक्रिरया अगले चरण में भी अपनायी जायेगी अर्थात जितनी मात्रा में भारतीय खाद्य निगम को चावल मिलों द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी उसी के अनुपात में धान मिल द्वारा अधिप्राप्ति केन्द्र से उठाया जायेगा । राईस मिलों द्वारा टैग अधिप्राप्ति केन्द्र से धान का उठाव ससमय करना होगा । यदि राईस मिल द्वारा उठाव में विलम्ब किया जाता है तो जिला स्तरीय समिति संबंधित अधिप्राप्ति केन्द्र को दूसरे राईस मिल से टैग करने हेतु स्वतंत्र होगी ताकि CMR सुपुर्दगी में विलम्ब न हो । जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं संबंधित पदाधिकारी अधिप्राप्ति केन्द्र से ससमय मिलों द्वारा धान उठाव तथा मिल से भारतीय खाद्य निगम को चावल उपलब्ध कराये जाने पर निगरानी रखेंगे ।

4. धान अधिप्राप्ति केन्द्रों का चयन:-

धान अधिप्राप्ति केन्द्रों का चयन सरकार से निर्गत आदेश के अनुरूप किया जायेगा ।

5. धान एवं चावल का एक समान विनिर्दिष्टियाँ

भारत सरकार द्वारा निर्धारित धान एवं चावल का एक समान विनिर्दिष्टियाँ लागू होगी जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर प्रेषित किया जायेगा ।

6. राईस मिलर के द्वारा धान की कस्टम मिलिंग एवं तदनुसार प्राप्त कस्टम मिल्ड राईस को राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों की सुपुर्दगी करने का दायित्व ।

i. प्रत्येक प्राधिकृत एजेंसी धान की कस्टम मिलिंग हेतु राईस मिलर का चयन करेंगे एव राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों के अंतर्गत उनसे एकरारनामा संपन्न करेगी ।

ii. प्रत्येक राईस मिल का यह दायित्व होगा कि वे एकरारनामा के शर्त के अंतर्गत प्राधिकृत एजेंसी से धान प्राप्त करें एवं परिवर्तित चावल के 68 किलोग्राम चावल प्रति 100 किलोग्राम धान के आउटपुट के आधार पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट एजेंसी को सुपूर्द करें ।

iii. प्रत्येक राईस मिल द्वारा इस प्रकार प्राप्त किए गए सभी धान की मिलिंग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि में पूर्ण करते हुए कस्टम मिल्ड राईस को राज्य सरकार अथवा भारतीय खाद्य निगम को हस्तगत करना सुनिश्चित करेगी ।

iv. कस्टम मिल्ड राईस एजेंसी द्वारा चयनित सभी राईस मिलर को उक्त एजेंसी के साथ धान की कस्टम मिलिंग हेतु एकरारनामा संधारित करना होगा एवं एकरारनामा की शर्तों का पालन करना होगा ।

v. इस प्रकार के एकरारनामा में निर्धारित प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख होगा-

क) राईस मिलर के द्वारा उनको आवंटित धान की मात्रा उनसे सम्बद्ध धान अधिप्राप्ति केन्द्रों के गोदामों से समय पर उठाव ।

ख) निर्धारित अवधि के अंतर्गत राईस मिलर के द्वारा धान की कस्टम मिलिंग करना,

ग) परिवर्तित चावल को निर्धारित समय के अंदर हस्तगत कराना,

घ) हस्तगत कराया गया चावल निर्धारित out term ratio के मानक के अनुरूप होना चाहिए ।

vi. एकरारनामा की किसी भी शर्त अथवा राज्य सरकार/सरकार द्वारा समय समय पर जारी किसी भी आदेश/निर्देश का उल्लंघन इस आदेश का उल्लंघन माना जाएगा एवं इस आदेश के प्रावधानों के अनुरूप दण्डात्मक कार्रवाई (Penal action) की जायेगी ।

vii. राज्य सरकार गन्नी बैग्स के उपयोग, राईस मिलर के द्वारा संधारित किए जाने वाले लेखा पंजी, कस्टम मिल्ड चावल की सुपुदर्गी की प्रक्रिया, भार गुणवत्ता एवं भंडार प्रमाण-पत्र (Weight quality and stock Certificate) एवं तौल प्रमाण-पत्र (Weighment Certificate) के संदर्भ में अलग से आदेश जारी करेगी, जो राईस मिलर पर बाध्यकारी होगी ।

viii. प्राधिकृत एजेंसियों एवं राईस मिलर धान अधिप्राप्ति एवं कस्टम मिल्ड राईस की डिलिवरी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित Reporting System का पालन करेंगी ।

7. कस्टम मिल्ड राईस एजेंसियों का दायित्व

i. प्राधिकृत एजेंसियाँ धान की अधिप्राप्ति हेतु उतरदायी होगी ।

ii. सरकार द्वारा जारी दिशा-निदेर्शो के अंतर्गत क्रय केन्द्रों का निर्धारण एवं किसी राईस मिल के बंद हो जाने अथवा नए क्रय केन्द्र स्थापित होने की स्थिति में क्रय केन्द्रों को राईस मिलों की मिलिंग क्षमता के अनुसार सम्बद्ध किया जाएगा ।

iii. क्रय केन्द्रों में राईस मिलों की सम्बद्धता दूरी, राईस मिलों की संख्या एवं उनकी मिलिंग के आधार पर की जाएगी ।

iv. प्राधिकृत एजेंसियाँ धान अधिप्राप्ति की मात्रा, चावल की मात्रा एवं अन्य सारी सूचनाओं को वेब आधारित Reporting System के माध्यम में एक समेकित प्रतिवेदन समर्पित करेगी ।

8. राईस मिल में धान सुरक्षित रख रखाव एवं राईस मिलों का निरीक्षण

i. राईस मिल के गोदाम में कस्टम मिलिंग हेतु प्राप्त धान को अलग रखा जाएगा ।

ii. यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो निरीक्षी पदाधिकारी सक्षम पदाधिकारी को दण्डात्मक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदित करेंगे ।

iii. कस्टम मिल्ड राईस हेतु प्राप्त धान एवं कस्टम मिल्ड राईस के गिनती योग्य स्थिति में भंडारित किया जाएगा एवं यदि धान/चावल इस प्रकार रखा गया हो जिससे गिनती संभव नहीं हो पा रहा वह इस आदेश का उल्लंघन माना जायेगा ।

9. सुपुर्द किये गये चावल में सुधार या बदलाव

i. यदि राईस मिल द्वारा सुपुर्द किया गया सी.एम.आर. का कोई भी स्टॉक भारत सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं होता है तो उसे राईस मिलर के द्वारा अपने दायित्व एवं मूल्य पर बदलाव या सुधार किया जायेगा ।

ii. चावल के स्वीकार कर लेने, अभिलेख में प्राप्ति दर्ज कर लेने एवं गोदाम में भण्डारित कर लेने के उपरान्त कोई भी चावल बदला नहीं जायेगा ।

10. अनुश्रवण हेतु राज्य, जिला एवं प्रखंड स्तर पर धान अधिप्राप्ति योजना अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है: -

<u>राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति</u>

विकास आयुक्त	- अध्यक्ष
सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	- सदस्य
सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग	- सदस्य
निबंधक, सहयोग समितियाँ	- सदस्य
विशेष सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	- सदस्य सचिव
संयुक्त सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	- सदस्य
महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम	- सदस्य
प्रबंध निदेशक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि०	- सदस्य

यह समिति सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण नियमित रूप से करेगी।

जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति

उपायुक्त	- अध्यक्ष
जिला आपूर्ति पदाधिकारी	- सदस्य
जिला सहकारिता पदाधिकारी	- सदस्य
जिला कृषि पदाधिकारी	- सदस्य
जिला प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम	- सदस्य
जिला प्रबंधक, झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि०	- सदस्य सचिव
महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र	- सदस्य
क्षेत्रीय पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्	- सदस्य

इस समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यो का अनुश्रवण किया जाएगाः-

i. धान उत्पादक किसानों का पंजीकरण
ii. धान अधिप्राप्ति केन्द्र का चयन
iii. केन्द्रवार न्यूनतम लक्ष्य का निर्धारण
iv. किसानों से धान क्रय एवं भुगतान
v. बोरा की व्यवस्था
vi. अस्थायी संग्रहण केन्द्र का संचालन
vii. केन्द्र का अस्थायी संग्रहण केन्द्र/मिल के साथ सम्बद्वता
viii. चावल मिल का निबंधन एवं अनुबंध
ix. धान एवं चावल का परिवहन
x. मिल में सी॰एम॰आर॰ की तैयारी एवं एफ॰सी॰आई॰ में आपूर्ति
xi. विपत्र तैयारी, सम्प्रेषण एवं भुगतान प्राप्त कर संबंधितों को वितरित करना
xii. सम्पूर्ण योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण ।

प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति

प्रखंड विकास पदाधिकारी	- अध्यक्ष
प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	- सदस्य
प्रखंड कृषि पदाधिकारी	- सदस्य
अध्यक्ष/संचालक एवं सहायक प्रबंधक सभी धान अधिप्राप्ति केन्द्र	- सदस्य

इस समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यो का अनुश्रवण किया जाएगा-

i. धान अधिप्राप्ति योजना का व्यापाक प्रचार-प्रसार

ii. धान उत्पादक किसानों का निबंधन

iii. अधिप्राप्ति हेतु केन्द्र की तैयारी

iv. किसानों से धान क्रय एवं भुगतान की व्यवस्था

v. बोरा की व्यवस्था

vi. क्रय धान का सुरक्षित भंडारण

vii. धान का परिवहन

viii. राशि की व्यवस्था

ix. सफल संचालन हेतु अन्य कार्य जो प्रासंगिक हो ।

11 अधिप्राप्ति मूल्य

धान एवं सी॰एम॰आर॰ के लिए भारत सरकार द्वारा प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम वर्षों के लिए निर्धारित मूल्य मान्य होगा ।

12. आदेश/दिशा निर्देश पालन करने से संबंधित कर्तव्य

प्रत्येक मिलर एवं एजेन्सी को सरकार से निर्गत आदेश का पालन करना होगा ।

13. विशेष परिस्थितियों में शक्ति से छुट

सरकार विशेष परिस्थितियों में जनहित को देखते हुए इन शक्तियों में विस्तार अथवा छूट प्रदान कर सकेगी ।

14. पंजी संधारण

प्रत्येक मिल द्वारा अधिप्राप्त किये गये धान एवं भारतीय खाद्य निगम को सुपुर्द किये गये सी॰एम॰आर॰ से संबंधित अलग पंजी रखना होगा एवं इसका संधारण करना होगा । मिल द्वारा पाक्षिक एवं मासिक प्रतिवेदन जिला प्रबंधक को उपलब्ध कराई जायेगी ।

15. राईस मिलर के स्टॉक का नियमित जाँच

जिला प्रबंधक द्वारा मिलर के स्टॉक का नियमित जाँच की जायेगी एवं प्रतिवेदन प्राधिकृत एजेन्सी को उपलब्ध कराई जायेगी ।

16. राज्य सरकार की शक्ति

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित आदेश/दिशा निर्देश नोडल एजेन्सी एवं सभी संबंधितों को जारी की जायेगी ।

17. जाँच, निरीक्षण, जब्ती आदि की शक्तियाँ

(i) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से वैसे निरीक्षी पदाधिकारियोंय जो पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से अन्यून हो, को नामित किया जायेगा जिन्हें राईस मिल की परिसर के निरीक्षण/पर्यवेक्षण का अधिकार होगा ।

(ii) उप धारा (i) के अधीन यदि ऐसे प्राधिकृत निरीक्षी पदाधिकारी को यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि इस आदेश के अधीन जारी किया गया कोई आदेश या इस आदेश की किसी शर्त का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसा अधिकारी इस आदेश के उपबंधों एवं शर्तों को प्रवृत्ति कराने की दृष्टि से किसी भी राईस मिल जहाँ उसे विश्वास करने का कारण हो कि राईस मिल के द्वारा शर्तों का उलंघन किया गया है, वह उक्त परिसरों या किसी अन्य स्थान का निरीक्षण कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा ।

(iii) इस संदर्भ में राईस मिल से संबंधित दस्तावेज/लेखा प्राप्त किया जा सकेगा तथा उसकी जांच करायी जा सकेगी ।

(iv) यथावश्यक ऐसे साधन एवं सहाय्य से निम्नलिखित को जब्त एवं हस्तांतरित करने की शक्ति हो ।

(क) चावल या धान के स्टॉक या उसके किसी भाग के संबंध में इस अधिनियम के किसी प्रावधान के सकारण भंग होना, किया जाना या भंग किये जाने की संभावना परिलक्षित हो,

(ख) ऐसे पैकेज या आवरण जिसमें चावल या धान का ऐसे स्टॉक पाये जाये एवं,

(ग) चावल या धान के ऐसे स्टॉक के परिवहन में प्रयुक्त जानवरों, वाहनों, या अन्य परिवहन साधनों जिनको इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त किया जाना पड़ा सकारण विश्वास हो, उक्त अधिनियम (आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955) की धारा-6(a) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस प्रकार जब्त किये गये पैकेज, आवरण, जानवर, सवारी या अन्य परिवहन साधन को जिला उपायुक्त या सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकार के समक्ष पेशी करने और ऐसे पेशीपर्यन्त उनकी सुरक्षित अभिरक्षा,

(घ) लेखों से संबंधित ऐसी पुस्तों या कागजातों को जब्त या हस्तांतरित करना जो उसकी राय में आदेश की उल्लघंन के परिपेक्ष्य में ऐसी कार्रवाई के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो और ऐसे व्यक्ति जिसके अभिरक्षा से ऐसे लेखा पुस्त

या कागजात जब्त किये गये हो उनकी उपस्थिति में प्रतिलिपि या उद्धरण प्राप्त करने की अनुमति देना एवं यथाविधान पुलिस में शिकायत दर्ज कराना,

(v) किसी राईस मिलर द्वारा किसी प्रावधान के उल्लंघन के विरूद्ध कार्रवाई उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप की जायेगी ।

(vi) उप धारा-(i) में निहित प्रावधानों के होते हुए भी राज्य सरकार या उपायुक्त इस आदेश के प्रावधानों के समुचित क्रियान्वयन के लिए नामित एजेंसी के सहायक प्रबंधक से अन्यून पदाधिकारी को उप धारा-(i) की शक्तियों के प्रयोग हेतु अधिकृत कर सकेगी ।

18. आदेश के उल्लंघन के लिए जुर्माना

निम्न परिस्थितियों में राईस मिल दोषी होने के लिए उत्तरदायित्व होंगे:-

i. एकरारनामा के अनुसार अधिप्राप्ति केन्द्रों से धान उठाव नहीं करने ।
ii. निर्धारित मानक के अनुरूप चावल नहीं जमा करना ।
iii. निर्धारित समय सीमा के अन्दर चावल नहीं जमा करना ।
iv. निर्धारित मात्रा से कम चावल जमा करना ।
v. उक्त परिस्थितियों में दोषी पाये जाने पर धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाजार शुल्क, हैण्डलिंग शुल्क, धान परिवहन का शुल्क एवं खरीफ विपणन मौसम हेतु निर्धारित ब्याज शुल्क के समतुल्य राशि राईस मिल से वसूली की जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनय कुमार चौबे,
सरकार के सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 364--100